

दिनांक
पृष्ठा

03.03.2014 ~~बहुमूल्य मशीनें 271~~

~~विज्ञान कृषिप्रकार को दुग्ध मय~~

~~प्रायकी का अलोकन विज्ञान मय~~

~~अथ अलोकन यह प्राप्त मय~~

~~वाक्य-पत्र 1/2 188 RTA के तहत~~

~~अनुकूल किया गया है, वादीगण~~

~~के द्वारा वाक्य-पत्र के अन्तर्गत~~

~~करवाया गया है कि ख.नं. 221~~

~~के आंशिक भाग पर 144 ख.नं.~~

~~146 आकारी विस्तार होने के~~

~~द्वारा जननैत्रिक ब्यूकेदार लोगों~~

~~के द्वारा ख.नं. 614/220 के उत्तरी~~

~~भागे पर हाल ही में अतिक्रमण~~

~~करते हुए नाजायज कब्जा कर~~

~~किया गया है, वाक्य पत्र में~~

~~सहित के द्वारा मौके पर कब्जा~~

~~किया गया है, उन्हे परम्पार~~

~~नशे बनाया गया है. न हीं~~



[Signature]
साहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा



उनके विरुद्ध दावा प्रस्तुत
किया गया है, बाद-पशु
में आवश्यक पशुकारान का
सुसंयोजन किया गया है,
ऐसी स्थिति यह बाद-पशु
शारीरिक क्लेश पर ही ग्रहण
योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के
आधार पर वादीगण के बाद-पशु
के आवश्यक पशुकारान का
सुसंयोजन करने से अस्वीकार
कर करार किया जाता है।
वादीगण आवश्यक पशुकारान के विरुद्ध
नये दिरे से दावा प्रस्तुत कर
जोड़ी कर सकते हैं।



(नरेश सोनी)
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

निर्दिष्ट काल दि. 07.03.2021 के पहले

न्यायालय में दुरादा गया
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा